रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/92

REGISTERED NO. DL-33004/92

Received from GOI Press on 5/8/92

H.C. (G.D. Unit)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 20, 1992/ज्येष्ठ 30, 1914

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 20, 1992/JYAISTHA 30, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

P-O 250

P.B 240

COMPLETED

10/8/92

भाग II—खंड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(अनुसंधान और विकास संगठन)

नई दिल्ली, 29 मई, 1992

का. नि. आ. 125.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में और नियम 5 में "व्यक्ति" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "वैज्ञानिक" शब्द रखा जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 8 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) वैज्ञानिक "ख" श्रेणी की 90 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा या संविदा पर या ऐसे उपयुक्त अधिकारियों के आमेलन द्वारा, जिन्हें प्रतिनियुक्ति या संविदा पर नियुक्त किया गया था और दस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति या संविदा पर या ऐसे उपयुक्त अधिकारियों के आमेलन द्वारा, जिन्हें प्रतिनियुक्ति या संविदा पर नियुक्त किया गया था, भरी जाएंगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी या ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक या फोरमैन या सहायक फोरमैन या मुख्य नक्शानवीस का पद धारण किए हुए है और जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और ऐसे अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक, जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में उस रूप में दस वर्ष नियमित सेवा की है, और जिसके पास अनुसूची 3

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

में वैज्ञानिक "ख" के पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं है, उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जिसके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी । जब कि सरकार द्वारा इस निमित्त अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, किसी भी अभ्यर्थी को उक्त विभागीय परीक्षा में पांच से अधिक बार सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।"

4. उक्त नियमों के नियम 13 के उपनियम (3) में, "तकनीकी पद" शब्दों के स्थान पर "अतकनीकी पद" शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियमों की अनुसूची 1ग में, क्रम संख्यांक (ii) के सामने वाले स्तम्भ में की तत्स्थानी प्रविष्टि में "या उद्योगों" शब्दों के स्थान पर "उद्योगों या विशिष्ट विद्या शाखा या क्षेत्र में विशेषज्ञों" शब्द रखे जाएंगे ।

6. उक्त नियमों की अनुसूची 1ङ. में, क्रम संख्यांक (ii) के सामने वाले स्तम्भ में की तत्स्थानी प्रविष्टि में "या उद्योगों" शब्दों के स्थान पर "उद्योगों या विशिष्ट विद्या शाखा या क्षेत्र में विशेषज्ञों" शब्द रखे जाएंगे ।

पाद-टिप्पण:—रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम जो भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 4 में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसम्बर, 1978, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, का. नि. आ. 307 तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का. नि. आ. 196 तारीख 2 अगस्त, 1982, का. नि. आ. 159 तारीख 5 मई, 1983, का. नि. आ. 176 तारीख 7 अगस्त, 1984, का. नि. आ. 228, तारीख 13 नवम्बर 1984, का. नि. आ. 170 तारीख 12 जुलाई, 1985, का. नि. आ. 185, तारीख 2 अगस्त, 1985 का.नि.आ. 228 तारीख 6 जून, 1980, का.नि.आ. 158 तारीख 4 मई, 1987, का. नि. आ. 328 तारीख 25 सितम्बर, 1987 का. नि. आ. 11ङ. तारीख 10 अगस्त, 1990, का. नि. आ. 1 तारीख 4 जनवरी, 1991, का. नि. आ. 33 तारीख 17 जनवरी 1991, का. नि. आ. 74 तारीख 5 मार्च, 1991, और का. नि. आ. 146 तारीख 4 जुलाई, 1991, द्वारा संशोधित किए गए है ।

[फाइल सं. डी. आर. डी. ओ./76205/आर डी/एम पी डी/2/1979-डी (आर एंड डी)]

संगम लाल त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Research and Development)

New Delhi, the 29th May, 1992

S.R.O. 125.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, and in rule 5, for the words 'person' or 'persons' wherever they occur, the word 'Scientist' or 'Scientists' shall respectively be substituted.

3. In rule 8 of the said rules, for clause (a), the following clause be substituted namely:—

"(a) Ninety per cent vacancies in the grade of Scientist 'B' shall be filled by direct recruitment or by transfer on deputation or on contract or by absorption of suitable officers who were appointed on deputation or contract and ten per cent through limited departmental competitive examination failing which by direct recruitment or on deputation or contract or by absorption of suitable officers who were appointed on deputation or contract. Any person holding the post of Junior Scientific Officer or Senior Scientific Assistant or Foreman, or Assistant Foreman or Chief Draughtsman having five years' regular service and other scientific and technical personnels with ten years regular service as such in Defence Research and Development Organisation and possessing the educational qualifications prescribed for the post of Scientist 'B' in Schedule III shall be eligible to apepar at the said examination for which there shall be no upper age limit. Unless otherwise specified by the Government in this behalf, no candidate shall be allowed to avail of more than five chances at the said departmental examination."

4. In rule 13 of the said rules, in sub rule (3), for the words 'Technical posts' the words 'Non technical posts' shall be substituted.

5. In Schedule 1C of the said rules, in the corresponding entry in the column against serial number (ii), for the words 'or industries', the words 'Industries or specialists in particular discipline or field' shall be substituted.

6. In Schedule 1E of the said rules, in the corresponding entry in the column against serial number (ii), for the words 'or industries', the words 'Industries or speicalists in particular discipline or field' shall be substituted.

Foot Note :—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide SRO 8 dated the 30th December, 1978, have been amended vide SRO 307 dated the 10th October, 1980, SRO 196 datd the 2nd August, 1982, SRO 159 dated the 5th May, 1983, SRO 176 dated the 7th August, 1984, SRO 228 dated the 13th November, 1984, SRO 170 dated the 12th July, 1985, SRO 185 dated 2nd August 1985, SRO 228 dated 6th June, 1986, SRO 158 dated 4th May, 1987, SRO 328 dated 25th September, 1987, SRO 11-E dated 10th August, 1990, SRO 1 dated the 4th January, 1991, SRO 33 dated 17th January, 1991, SRO 74 dated 5th March, 1991 and SRO 146 dated the 4th July, 1991.

[No. DRDO/76205/RD/MPD-2/1979/D(R&D)]

S. L. TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 मई, 1992

का. नि. आ. 126.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के निम्नलिखित कार्यालय को जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है अधिसूचित करती है :—

संपर्क कार्यालय, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली ।

[(सं. एफ. 11(2) 92/रक्षा (राजभाषा-2)]

मनिराम, निदेशक (राजभाषा)

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54